


# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/कामकाजी महिला/2017/822 दिनांक :- 2/6/17

## परिपत्र


माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालनार्थ मण्डल के आदेश क्रमांक 3559 दिनांक 04.03.2002 के द्वारा मुख्यालय एवं आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 07.12.2007 के द्वारा वृत्त स्तर पर कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की घटनाओं की रोकथाम बाबत समिति का गठन किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में मण्डल प्रशासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय स्तर पर प्रकोष्ठ प्रभारी एवं वृत्त/खण्ड स्तर पर प्रभारी अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत करावे और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना सुनिश्चित करे जिससे महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या उत्पीडन की शिकायत ना हो।

  
(विश्व मोहन शर्मा)  
सचिव

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-मु0/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर।
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
6. निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/विशेषाधिकारी (भूमि)/सहायक निदेशक (जनसंपर्क), रा0आ0म0, जयपुर।
7. अध्यक्ष, महिला उत्पीडन रोकथाम समिति मुख्यालय, जयपुर
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा0आ0म0, .....।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा0आ0म0, .....।
10. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, (मुख्यालय), Computer..... रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक